न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 46/2024/राजस्व वाद दायर दिनांक 02.05.2024

उनवान

1. बालाराम पि. रामप्रताप जाति धाकड नि. हेमडा तहसील सुनेल

— वादी

बनाम

1. गोरधनलाल पि. रामप्रताप जाति धाकड नि. हेमडा तहसील सुनेल
2. प्रेमबाई पुत्री रामप्रताप पत्नि अमरसिंह जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल
3. दिनेश कुमार पि. जानकीलाल जाति लोहार नि. हेमडा तहसील सुनेल
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 53 , 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति — वकील वादी — श्री अशोक चौहान
वकील प्रतिवादी सं. 1 — श्री हुकुमचन्द कुमावत
वकील प्रतिवादी सं. 2 से 3 — एकतरफा

निर्णय दिनांक 17.02.2025

पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 04.04.2024 की पालना में पुनः पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद अर्न्तगत धारा 88, 91, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ग्राम हेमडा तहसील सुनेल की आराजी ख.नं. 523, 1208, 1224/1 किता 3 रकबा 13—00 बीघा एवं ख.नं. 1211 रकबा 8—08 बीघा भूमि में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.12.2006 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्सा एवं कब्जा काश्त को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान काष्तकारी (सरकारी) नियमों के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी का खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये थे जिसकी पालना में नायब तहसीलदार सुनेल से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक [illegible] 2007 को निर्णय एवं फाईनल डिक्री पारित कर पक्षकारान के खाते पृथक पृथक दर्ज करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:20:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

का आदेश दिया जिसकी पालना में नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा जरिये नामा.सं. 1385 दिनांक 18.06.2007 खाता विभाजन किया जाकर पृथक पृथक खाते दर्ज किये गये जिसके वर्तमान खाता सं. 432, 157, 213 है।

2. प्रतिवादी सं. 1 गोरधन पि. रामप्रताप ने इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय एवं फाईनल डिक्री दिनांक 26.04.2007 से अप्रसन्न होकर द्वारा न्यायालय भू.प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की थी जिसमें माननीय न्यायालय भू.प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 18.09.2008 को निर्णय व डिक्री पारित कर प्रतिवादी सं. 1 की अपील खारीज की गई।

3. ततपश्चात प्रतिवादी सं. 1 गोरधन पि. रामप्रताप द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की। माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 04.04.2024 से अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय भू.प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2008 एवं इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 26.04.2007 को निरस्त कर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि– वे प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विधि सम्मत रूप से विभाजन की डिक्री पारित करे।

4. पत्रावली प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर कर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर तहसीलदार सुनेल से प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.12.2006 की पालना में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 के अधीन उभयपक्षकारान की उपस्थिति में पुनः बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया जिसकी पालना में तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2024/1018 दिनांक 01.10.2024 को <u>ग्राम हेमडा की जमाबंदी सं. 2062–65 के खाता संख्या 297 के ख.नं. 523, 1208, 1224 किता 3 रकबा 13–00 बीघा एवं खाता सं. 126 ख.नं. 1211 किता 1 रकबा [illegible] बीघा</u> भूमि का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया। [illegible] सुनेल से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01.10.2024 पर [illegible] उभयपक्ष की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:20:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

बहस सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा आपसी सहमति से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर फाईनल डिक्री जारी करने का निवेदन किया, जिसे न्यायहित में स्वीकार किया गया।

5. अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2006 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01.10.2024 अनुसार **ग्राम हेमडा तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2062–65 के खाता संख्या 297 के ख.नं. 523, 1208, 1224 किता 3 रकबा 13–00 बीघा एवं खाता सं. 126 ख.नं. 1211 किता 1 रकबा 8–08 बीघा** भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

क्र. स.	ग्राम	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा बीघा बिस्वा	किस्म
1	हेमडा खाता सं. 297, 128 सं. 2062–65	गोरधन पि. रामप्रताप धाकड नि. हेमडा	1208 1211 523/1	3–17 4–04 0–11	माल दोयम माल दोयम चाही दोयम
			किता 3	8–12	
2	हेमडा खाता सं. 297, 128 सं. 2062–65	बालाराम पि. रामप्रताप हि. 1/2 प्रेमबाई पुत्री रामप्रताप हि. 1/2 धाकड नि. हेमडा	1224 523	7–16 0–16	माल दोयम चाही दोयम
			किता 2	8–12	
3	हेमडा खाता सं. 297, 128 सं. 2062–65	दिनेश कुमार पि. जानकीलाल लौहार नि. हेमडा	1211/1	4–04	माल दोयम

तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी,खानपुर
जिला झालावाड़,राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:20:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

फाईनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आ० 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 46/2024/राजस्व वाद   दायर दिनांक 02.05.2024

उनवान

1. बालाराम पि. रामप्रताप जाति धाकड नि. हेमडा तहसील सुनेल

– वादी

बनाम

1. गोरधनलाल पि. रामप्रताप जाति धाकड नि. हेमडा तहसील सुनेल
2. प्रेमबाई पुत्री रामप्रताप पत्नि अमरसिंह जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल
3. दिनेश कुमार पि. जानकीलाल जाति लोहार नि. हेमडा तहसील सुनेल
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 53 , 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादी – श्री अशोक चौहान
वकील प्रतिवादी सं. 1 – श्री हुकुमचन्द कुमावत
वकील प्रतिवादी सं. 2 से 3 – एकतरफा

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..............................मिनजाबिन

मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि – इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2006 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01.10.2024 अनुसार ग्राम हेमडा तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2062–65 के खाता संख्या 297 के ख.नं. 523, 1208, 1224 किता 3 रकबा 13–00 बीघा एवं खाता सं. 126 ख.नं. 1211 किता 1 रकबा 8–08 बीघा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

क्र. स.	ग्राम	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा बीघा बिस्वा	किस्म
1	हेमडा खाता सं. 297, 128 सं. 2062–65	गोरधन पि. रामप्रताप धाकड नि. हेमडा	[illegible] [illegible] 523	8–17 [illegible] 0–11	माल दोयम माल दोयम चाही दोयम
			किता 3	8–12	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:20:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

2	हेमडा खाता सं. 297, 128 सं. 2062–66	बालाराम पि. रामप्रताप हि. 1/2 प्रेमबाई पुत्री रामप्रताप हि. 1/2 धाकड़ नि. हेमडा	1224 523	7–16 0–16	माल दोयम चाही दोयम
			किता 2	8–12	
3	हेमडा खाता सं. 297, 128 सं. 2062–66	दिनेश कुमार पि. जानकीलाल लौहार नि. हेमडा	1211/1	4–04	माल दोयम

तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

निज ....X.............. मुबालिक ....X............. बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशरह ......X.............फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X............ अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 17.02.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)
जिला झालावाड़ राज0

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:20:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner